न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला पाली (राज)

पीठासीन अधिकारीः कोमल खत्री, आर.जे.एस.

दस वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण

निर्णय दिनांक : 31.07.2026

दांडिक मूल प्रकरण संख्या : 216/2016

सीआईएस नंबर : 102/2016

सीएनआर नंबर : RJPL150009552016

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 203/2015

अन्तर्गत धारा : 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।
उपस्थितः- अभियोजन अधिकारी

बनाम

अभियुक्तः

तगाराम पुत्र अचलाराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी पुसलोयाला बेरा, पावा पुलिस थाना तखतगढ, जिला पाली।

उपस्थितः- श्री गणपतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता- वास्ते अभियुक्त।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	22.11.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22.11.2015

आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	29.03.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	29.03.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	15.02.2025
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	31.07.2026
निर्णय की तिथि	31.07.2026

::अभियुक्त का विवरण::

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा -428 द.प.स के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	तगाराम	29.03.2016	29.03.2016	धारा 341, 323 आईपीसी	दोषमुक्त	----	---

::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय गवाह सूची::

क. अभियोजन

क्रम सं.	अभियोजन साक्षी का क्रम	गवाह का नाम	क्या शहादत देगा
1.	पीडब्ल्यू 1	जगदीश कुमार	परिवादी
2.	पीडब्ल्यू 2	रमेश कुमार	गवाह
3.	पीडब्ल्यू 3	शेषाराम	मौतबीर नक्शा मौका

4.	पीडब्ल्यू 4	मोडाराम	मौतबीर नक्शा मौका
5.	पीडब्ल्यू 5	जमुना	आहता
6.	पीडब्ल्यू 6	पोनी देवी	गवाह
7.	पीडब्ल्यू 7	मांगीलाल	गवाह
8.	पीडब्ल्यू 8	पुखराज	तफतीशी हालात

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--	--	--

::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श सूची::

क. अभियोजन

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेज का नाम
1.	प्रदर्श पी 1	टाईपशुदा रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी 3	जगदीश कुमार का चोट प्रतिवेदन
4.	प्रदर्श पी 4	जमुना का चोट प्रतिवेदन
5.	प्रदर्श पी 5	चाक एफ.आई.आर.

ख. बचाव

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति
1.	प्रदर्श डी 01	जमुनादेवी के पुलिस बयान

निर्णय **दिनांक 31.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी जगदीश कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पुश्तैनी मय कृषि भूमि सरहद मौजा पावा में गुडिया मार्ग पर आई हुई है। दिनांक 22.11.2015 को दोपहर में करीब 12 बजे वह व उसकी माता पोनी देवी व बहन जमना देवी तीनो जने उनके बेरे पर हद में माठ पर खड़े बबूलो को काट रहे थे तभी उसका पड़ोसी तगाराम उसके साथ गाली गलौच करते हुए हाथ में लाठी लेकर उसके बेरे पर आया व उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए कहने लगा कि माठ पर खड़े बबूल को हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा व आवेश में आकर लाठी से उसके साथ मारपीट करने लगा व उसकी माता पोनी तथा बहन जमना ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट कि जिससे उनके चोटे आई....आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना तखतगढ में प्र.सू.रि.सं. 203/2015 दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त तगाराम के विरूद्ध धारा 341, 323 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त तगाराम के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौरान अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची

अनुसार गवाहान् को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया। अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताकर झूठा फंसाने तथा अपने आपको निर्दोष होना जाहिर किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर दंडित किया जावे। इसके विपरीत विद्धान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहों ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। अन्य गवाह मात्र औपचारिक प्रकृति के साक्षी होने से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं। अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन कर किया गया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दू निम्न हैं:-

''1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.11.2015 को दिन मे करीब 12

बजे सरहद मौजा पावा में परिवादी की कृषि भूमि पर परिवादी को ईच्छित स्थान पर जाते हुए को रोककर सदोष अवरोध कारित कर परिवादी तथा बीच बचाव करने आई उसकी माता व बहन के साथ गाली गलौच कर लाठी से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है?''

6. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य, दस्तावेजों व बहस के परिपेक्ष्य में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है कि न्यायालय के समक्ष कुल 08 गवाहान् परीक्षित हुए है।

प्रकरण की रिपोर्ट परिवादी जगदीश कुमार ने दिनांक 22.11.2015 को थाने में पेश की थी जो उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस संबंध में प्रकरण का रिपोर्टकर्ता जगदीश कुमार पी.डब्ल्यू 01 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि वर्ष 2015 की बात है, खेत में वह, उसकी माता व बहन काम कर रहे थे। तगाराम उनसे गाली गलौच करते हुए आया। बाद में उसकी बहन व मां ने समझाया लेकिन वह नहीं समझा मारपीट करने लगा। रमेश और मोडाराम आए और उन्हें छुड़वाया। बाद में उसने थाने में टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की जिस पर ए से बी उसके हस्तक्षार है। नक्शा मौका मौके पर ही बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है। उसके चोटे

आई थी, उसकी बहन के सिर पर चोट आई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि तगाराम के खेत के पास उसका व उसके परिवार का कोई खेत आया हो इस संबंध में उसे कोई जमांबदी व रेवन्यु पेश नहीं किया। उसे कमप्यूटर व टाईप करना नहीं आता है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसने टाईप नहीं की, जो किसने टाईप की उसे याद नहीं है। यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर पुलिस वालों के कहने से हस्तक्षार किए थें जो कि थाने में किए थें। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर हस्ताक्षर थाने में किए थें।

7. इसी क्रम में प्रकरण की आहता परिवादी की बहन पी.डब्लयू 05 जमुना ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह व उसका भाई जगदीश कुमार अपने खेत में अंग्रेजी बबूल काट रहे थें। दोपहर की बात है तगाराम आया और उसके भाई जगदीश कुमार व उसके साथ लाठी से मारपीट की। छुड़ाने के लिए उसकी माता पोनी देवी व पडोस के रमेश कुमार व मांगीलाल आए थे जिन्होनें उन्हे छुड़ाया था। उसके भाई ने थाने में रिपार्ट दी थी। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रति परीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसने पुलिस थाना तखतगढ में लिखित रिपोर्ट दी थी जिसको दर्ज कर थाने वालों ने कार्यवाही की थी। गवाह ने प्रदर्श पी 01 देखकर बताया कि उक्त रिपोर्ट उसने थाने में दी थी। उसने उनके खेत के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। उसके भाई जगदीश कुमार व तगाराम के मध्य लकडीयों को लेकर विवाद हुआ था। यह सही है कि बयान प्रदर्श डी 01 का ए से बी हिस्सा

उसने पुलिस को नहीं बताया।

उक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाहान् ने अपने बयानों में तगाराम द्वारा उनके साथ मारपीट करने के कथन किए है। परिवादी जगदीश कुमार ने मुख्य परीक्षण में तो नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 मौके पर ही बनाए जाने का कथन किया है परंतु जिरह में उक्त प्रदर्श पर हस्तक्षार थाने में करने के कथन किए है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि वह, उसकी बहन जमुना व माता पोनी देवी तीनों खेत में काम कर रहे थें तब तगाराम गाली गलौच करते हुए आया तथा रमेश व मोडाराम ने बीच बचाव करके छुड़वाया जबकि आहता जमुना ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह व जगदीश खेत में काम कर रहे थें तब तगाराम आया और उसके भाई जगदीश के साथ मारपीट करने लगा तब उसकी माता पोनी देवी, रमेश व मांगीलाल द्वारा बीच बचाव कर छुड़वाया गया। प्रकरण के परिवादी एवं उसकी बहन जो अभियोजन के सार्वधिक महत्वपूर्ण एवं स्वाभाविक साक्षी है उन्होनें न्यायालय के समक्ष अभियोजन की मूल घटना के सबंध में जो साक्ष्य दी है उसमें गंभीर प्रकृति का विरोधाभास है जिससे उक्त दोनों गवाहान् की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है व अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की आधारभूत कहानी ही सदेंहास्पद हो जाती है।

8. इस क्रम में प्रकरण के चक्षुदर्शी गवाहान् की साक्ष्य प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। अभियोजन के अनुसार चक्षुदर्शी गवाह पी.ड.02 रमेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन

किया है कि आज से करीब साढे नौ साल पहले दोपहर में उनके खेत की बात है। जगदीश व जमुना बबुल की कटाई कर रहे थे। तगाराम ने जगदीश व जमुना के साथ में गाली गलौच किया व मारपीट की तब उसने व उसके काका मांगीलाल ने बीच बचाव कर छुड़ाया। जमुना के साथ मारपीट करने से उसके खून आया था। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि किस तारीख की बात है उसे जानकारी नहीं है। जगदीश व उसका खेत अलग हो रखा है। पुलिसवालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। जगदीश व जमुना दोपहर में एक-दो बजे कटाई कर रहें थे। उसने तगाराम को जगदीश के जमीन पर आते हुए नहीं देखा था। उक्त गवाह प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने मुख्य परीक्षण में तो तगाराम द्वारा जगदीश व जमुना के साथ मारपीट करना बताया है परंतु जिरह में गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के कथनों का खंडन करते हुए कथन किया है कि उसने तगाराम को जगदीश के जमीन पर आते हुए नहीं देखा तथा जमुना व जगदीश बबूल की कटाई दोपहर में एक-दो बजे कर रहें थे जबकि जगदीश द्वारा घटना दोपहर में 12 बजे होनें का बताया गया है। एसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से परिवादी द्वारा बताई गई घटना की ताईद नहीं होती है।

9. इसी क्रम में प्रकरण का अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी.ड.07 मांगीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब 10 साल पहले दिन के 12 बजे की बात है, उसकी भाभी पोनी देवी, भतीजी व भतीजा जगदीश बाड़ कर रहें थे तभी तगाराम लाठी लेकर उनके खेत में आया

तब उसकी भाभी ने शांति रखने को कहा तो उसने भाभी को धक्का दिया व जमना व जगदीश के साथ मारपीट की जिस पर उसने, रमेश व शेषाराम ने बीच बचाव किया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है। वह वक्त घटना मौके पर नहीं था। उसने घटना होते हुए नहीं देखी। उसने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा। उक्त गवाह ने जिरह में अपने मुख्य परीक्षण के कथनों का खंडन किया है। गवाह ने वक्त घटना मौके पर होने तथा घटना देखे जाने के कथनों से स्पष्ट इन्कार किया है। एसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से उक्त गवाह प्रकरण का चक्षुदर्शी गवाह होना दर्शित नहीं होता है। उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं होता है।

10. प्रकरण में परिवादी जगदीश द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के अनुसार उसकी माता पोनी देवी भी मौके पर उपस्थित थी जिसके साथ भी लिखित रिपोर्ट के अनुसार मारपीट होना बताया गया है। उक्त महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी व आहता न्यायालय के समक्ष पी.ड.06 के रूप में परीक्षित हुई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब 10 साल पहले की बात है, वह, उसकी बेटी व बेटा जगदीश बाड़ कर रहे थें तभी तगाराम लाठी लेकर उनके खेत में आया तब उसने शांति रखने को कहा तो उसने उसे धक्का दिया व उसकी बेटी जमना के सिर पर लाठी से वार किया तथा उसके पुत्र जगदीश के साथ भी मारपीट की जिस पर रमेश व मांगीलाल ने आकर बीच बचाव किया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसने अपनी जमीन के संबंध में कोई

कागजात पत्रावली पर पेश नहीं किए है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए ना ही कोई पूछताछ हुई। मौके पर उनके अलावा और कोई नहीं था। उनकें अलावा बीच बचाव करने के लिए मौके पर कोई नहीं आया। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में तो रमेश व मांगीलाल द्वारा बीच बचाव करना बताया है परंतु जिरह में मौके पर अन्य किसी के होनें तथा उनके अलावा किसी के भी द्वारा बीच बचाव किए जाने के कथनों से स्पष्ट इन्कार किया है। गवाहान् जगदीश, पोनी व जमुना एक ही परिवार के सदस्य होने से हितबद्ध साक्षी है तथा उक्त तीनों गवाहान् जगदीश, पोनी व जमुना की साक्ष्य में ही विरोधाभास है।

11. प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 के गवाहान् पी.ड.03 शेषाराम व पी.ड.04 मोडाराम की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उक्त दोनों गवाहान् ने अपने मुख्य परीक्षण में पुलिस द्वारा उनके सामने मौका देखना व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर क्रमशः एक्स व वाई स्थान पर उनके अंगुष्ठ निशान होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाहान् ने पुलिस वालों द्वारा उनसे किस कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए तथा उनमें क्या लिखा था इस बारें में कोई जानकारी नहीं होने के कथन किए है। एसे में उक्त गवाहान् की साक्ष्य से नक्शा मौके की ताईद नहीं होती है।

12. प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.ड.08 पुखराज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रार्थी जगदीश ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की जिस पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर, सी से डी थानाधिकारी का पृष्ठांकन व ई से एफ कार्यवाही

पुलिस व हस्ताक्षर है। बाद कायमी प्रकरण अनुसंधान हेतु उसके हवाले किया जिस पर उसने घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया। उसने गवाहान् जगदीश, जुमना, रमेश, मांगीलाल, पोनी के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किए। उसने मजरूब जमुना व जगदीश की आई.आर प्रदर्श पी 03 व 04 शामिल पत्रावली की थी जिन पर सी से डी उसका शामिल मिसल का पृष्ठांकन है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसने खेत के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज का अनुसंधान नहीं किया। उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 में अंकित मौतबीरान को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी थी वे पहले से ही मौके पर ही खड़े थें। पत्रावली में लेखबद्ध साक्ष्य से सबंधित गवाहान एक ही परिवार के हो तो उसे जानकारी नहीं है।

13. प्रकरण में परीक्षित परिवादी पी.ड.01 जगदीश ने तगाराम द्वारा उसके साथ मारपीट करने व बीच बचाव करने आई उसकी माता व बहन के साथ मारपीट करने तथा रमेश व मोडाराम द्वारा छुड़वाए जाने के कथन किए है परन्तु प्रकरण की आहता पी.ड.02 जमुना ने कथन किया है कि तगाराम ने उसके व उसके भाई के साथ लाठी से मारपीट की व छुड़ाने के लिए उसकी माता, रमेश व मांगीलाल आए थे। जबकि परिवादी की माता पीत्.ड.06 पोनी बाई द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि उनके अलावा मौके पर कोई नहीं था व कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया था। अभियोजन साक्षियों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान हैं। इस क्रम में अभियोजन का मुख्य आधार आहत साक्षियों एवं चोट

प्रतिवेदन है। किन्तु अभियोजन द्वारा चोट प्रतिवेदन तैयार करने वाले चिकित्सक को न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप चोट प्रतिवेदन विधि अनुसार सिद्ध नहीं हो सका तथा अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि कथित चोटें किस प्रकृति की थीं तथा वे कथित घटना के अनुरूप थीं। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाहान् रमेश व मांगीलाल ने परिवादी द्वारा बताई गई घटना की ताईद नहीं की है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अनुसंधान संबंधी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन साक्ष्य पर संदेह की पर्याप्त गुंजाईश बनी हुई है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.11.2015 को दिन मे करीब 12 बजे सरहद मौजा पावा में परिवादी की कृषि भूमि पर परिवादी को ईच्छित स्थान पर जाते हुए को रोककर सदोष अवरोध कारित कर परिवादी तथा बीच बचाव करने आई उसकी माता व बहन के साथ गाली गलौच कर लाठी से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित की।

अतः अभियुक्त तगाराम अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

14. परिणामतः अभियुक्त तगाराम पुत्र अचलाराम, उम्र 46 वर्ष,

निवासी पुसलोयाला बेरा, पावा पुलिस थाना तखतगढ, जिला पाली को धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निर्णय की दिनांक से 06 माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

(कोमल खत्री)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सुमेरपुर, जिला पाली

15. निर्णय आज दिनाँक 31.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन, सुनाया गया।

(कोमल खत्री)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सुमेरपुर, जिला पाली